अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं भारत अमेरिका सहयोग

नन्द राम खटीक
सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज.)

सारांश

आतंकवाद, आज एक ऐसी समस्या है जिससे न केवल भारत अपितु पूरा विश्व प्रभावित है। 9/11 की घटना के बाद पूरा विश्व एकजुट होकर समस्या के उन्मूलन हेतु कृतसंकल्पित है इस दिशा में (आतंकवाद के विरुद्ध) भारत-अमरीका ने भी सहयोग हेतु कदम बढ़ाए है। आतंकवाद क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ? और कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अमानवीय व हिंसक हो गया ? आज आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, आज यह विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आतंकवाद को नष्ट करने की दिशा में अमरीका ने महत्वपूर्ण कदम उठाए एवं विभिन्न देशों के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध एक मुहिम चलाई और ऑपरेशन एन्डयोरिंग फ्रीडम के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा हेतु किसी न किसी रूप में प्रत्येक स्तर पर यह क्रियाशील है। प्रश्न यह है कि क्या हिंसा को हिंसा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है? या फिर आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद की उत्पत्ति के कारणों को समझा जाए और उन्हें समाप्त कर एक समान और सहिष्णु समाज की स्थापना की जाए । यह सत्य है कि, आज आतंकवाद इतना हिंसक और विश्वव्यापी रूप धारण कर चुका है कि उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तालमेल और राष्ट्रों में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इस विश्वव्यापी समस्या से निजात पाने हेतु भारत एवं अमेरिका ने सहयोगात्मक रुख अपनाते हुये इसे खत्म करने के लिए कदम बढ़ाये है।

मुख्य शब्द: महत्वपूर्ण, आतंकवाद, विश्लेषण, सहिष्णु

प्रस्तावना

पृथ्वी पर मनुष्य ने प्रकृति की श्रेष्ठ रचना के रूप में तथा सबसे अधिक विचारशील प्राणी के रूप में होने के कारण प्रकृति से मिलने वाले समस्त स्रोतों का उचित मात्रा में उपयोग करके अपनी भौतिकता में प्रगति की । भौतिकता को विकसित करने के क्रम में उसकी इच्छाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होती चली गई। अपनी इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य द्वारा किए जाने वाले क्रूरतम कार्यों ने जहां एक ओर प्रकृति में असंतुलन को जन्म दिया, वहीं दूसरी और अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में सुधार लाने हेतु मानव द्वारा नवीन विचारों को अस्तित्व में लाया गया, चाहे वह शस्त्रनीति पर आधारित साम्राज्यवाद हो, वर्गभेद पर आधारित जातिवाद हो या आर्थिक असमानता के कारण जनित पूँजीवाद तथा साम्यवाद हो; इन सभी विचारधाराओं में स्वार्थ की भावना परिलक्षित होती है। मानव की इसी स्वार्थ भावना का अंतिम तथा घृणित रूप आतंकवाद आज हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है।

सामान्यतः आतंकवाद "हिंसा या हिंसा की धमकी के प्रयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष की एक विधि व राजनीति है, अपने शिकार victim में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है साथ ही यह क्रूर व्यवहार है, जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता, इसकी रणनीति में प्रचार एक आवश्यक तत्व है।" दूसरे शब्दों में भय उत्पन्न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही आतंकवाद है। एक आतंकवादी को उसके तात्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, यह लक्ष्य होता है भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराना अतः आतंकवादी वह है, जो चरम हिंसा के प्रयोग द्वारा अपनी माँग मनवाने हेतु व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले ।

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार, "यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से हिंसा के योजनाबद्ध उपयोग से करता है ।" अर्थात किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसक, अलोकतांत्रिक, अमानवीय तथा अवैध तरीकों का प्रयोग कर जनता में आतंक फैलाना तथा लोगों के मानवीय अधिकारों का

हनन करना ही आतंकवाद है, चाहे यह स्थिति कुछ संगठनों की ओर से पैदा की गई हो या सत्ताधारियों की ओर से ! एक देश की ओर से, दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप से उत्पन्न हुई हो या किसी अन्य तरीके से, ऐसी सभी हिंसक गतिविधियाँ. आतंकवाद की परिधि में आती है । अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में देखने पर हम पाते है कि संघर्ष का यह नया तरीका बड़ी तेजी से परम्परागत युद्धों का स्थान ले रहा है तथा एक राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्र के विरूद्ध बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग "एक कूटनीतिक चाल " मानकर कर रहा है यद्यपि आज विभिन्न हिंसक घटनाओं के लिए "आतंकवाद" शब्द का प्रयोग पूरी निर्बन्धता के साथ होता है किन्तु इस शब्द की एक सर्वस्वीकार्य परिभाषा आज भी नहीं है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों का स्वरूप देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है ।

जब किसी राष्ट्र में स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले किसी समुदाय विशेष के द्वारा जातीयता, क्षेत्रीयता या धर्म के आधार पर अथवा विदेशी सरकार के स्थान पर स्वदेशी सरकार स्थापित करने वाले संगठन हिंसा एवं आतंक का अनुशरण कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते है, तो यह राष्ट्रीय आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अन्तर्गत उन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम या प्रभाव होता है । जब भी कोई ऐसा संगठन जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विश्व जनमत की स्वीकृति को आवश्यक मानता है तथा उसे प्रभावित करने हेतु आतंकवाद का प्रयोग करता है या किसी दूसरे देश में सरकार का तख्ता पलटने का अथवा अपने समुदाय विशेष के स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए आतंकवाद के द्वारा प्रयास करता है या फिर किसी संगठन को किसी राष्ट्र विशेष या राष्ट्रों की सरकारों के विरूद्ध आतंकवादी कार्यवाही करने के लिए अन्य देश की सरकारों का अपने निजी स्वार्थ को पूर्ण करने हेतु समर्थन मिला होता है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं।

ब्रियां क्रोजर के मतानुसार बीसवीं शताब्दी का आतंकवाद विश्वव्यापी है । विश्व के समस्त आतंकवादियों के मूलभूत विश्वास तथा कार्य करने की प्रेरणा प्रायः एक ही तरह की है। ये सभी परस्पर प्रशिक्षण तथा हथियारों की सप्लाई में सहयोग करते हैं। आतंकवादी अनेक घिनोनी कार्यवाहियों जैसे- निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, अपहरण, हवाई जहाजों को अगवा करना, बम विस्फोट एवं तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों आदि द्वारा आतंक फैलाकर अपने संकीर्ण तथा मानवता विरोधी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते है । हथियारों का गैर-कानूनी व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा विभिन्न राष्ट्रों में वियमान नस्लवादी एवं जातीय हिंसा सभी अंतर्राष्ट्रीय आतकंवाद के भयानक एवं घिनौने रूप है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्वशांति एवं सुरक्षा के मानवतावादी उद्देश्य की प्राप्ती के लिए "संयुक्त राष्ट्र संघ" की स्थापना की गई परंतु दुर्भाग्यवश दोनों महाशक्तियों अमरीका और पूर्व सोवियत संघ के बीच उत्पन्न शीतयुद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को पुनः तनावपूर्ण बना दिया। दोनों महादेशों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए न केवल आतंकवादी गतिविधियों को सहन किया बल्कि उन्हें पोषित भी किया। शस्त्र व्यापार एवं अस्त्र-शस्त्रों की बढ़ती होड़ ने इन आतंकवादियों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया अनेक उग्रवादी संगठनों द्वारा अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति हेतु शस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा । इस तरह शीतयुद्ध, शीतयुद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, प. एशिया की अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था और उसमें महाशक्तियों का हस्तक्षेप आदि ने आतंकवाद की प्रकृति को काफी जटिलता और इसके स्वरूप को विस्तार प्रदान किया अतः यह विशेषज्ञ मत कि "आतंकवाद भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत तथा वैचारिक दृष्टि से विभिन्नता लिये है" इससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आज राष्ट्रातीत आतंकवादी गतिविधियाँ बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रही है क्योंकि यह कम खर्चीला, अहम को बढ़ाने वाला एवं तात्कालिक लक्ष्य, अबिलंब प्राप्त करने में सहायक होता है। आज प्राथमिक रूप से यह भावना प्रबल है, कि अपनी आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान या तो आसानी से प्राप्त हो सकने वाले बाह्य समर्थन से हो सकता है, अथवा किसी विकसित देश में विकासशील देशों के हितों के विरूद्ध किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने से हो सकता है इसलिए

संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद के इस स्वरूप को उसी समय स्वीकार कर लिया था, जब उसने 24 अक्टूबर 1970 को यह प्रस्ताव पारित किया था कि-"प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि वह अन्य राष्ट्रों के विरूद्ध गृह संघर्ष अथवा आतंकवादी कृत्यों के संबंध में सहायता अथवा सहभागिता से अपने को दूर रखे एवं अपने राष्ट्र की सीमाओं के अन्दर ऐसी गतिविधियों जो इन कृत्यों को बढ़ावा देती है को अपना मूक समर्थन प्रदान न करे। "

आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देशों में आतंकवाद रूपी वृक्ष की जड़े विद्यमान हैं। इसकी उत्पत्ति के लिए किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, विभिन्न कारक इसके लिए उत्तरदायी है, जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तथा धार्मिक | लगातार उपेक्षित व्यवहार और निराशापूर्ण माहौल के फलस्वरूप आतंकवाद उदित होता है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ण करने हेतु अन्य राष्ट्रों में आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह पृथक राष्ट्र की माँग को लेकर विभिन्न समूहों द्वारा संगठित तथा सुनियोजित आन्दोलन शुरू किए गए जो आगे चलकर आतंकवादी संगठनों में परिणित हो गये श्रीलंका, चेचन्या (रूस), भारत, बांग्लादेश, फिलिस्तीन, अफ्रीका के देश, चीन के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र द्वारा अलग-अलग राष्ट्र की माँग, तथा खालिस्तान की माँग आदि क्षेत्रीय विवाद भी आतंकवाद के प्रतीकात्मक हैं ।

किसी भी राष्ट्र में निर्धनता, बेरोजगारी, किसी जाति, धर्म सम्प्रदाय आदि का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, जमींदारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, उपभोगवाद, देश की दुर्बल मुद्रा तथा नकली मुद्रा का चलन, आर्थिक अपराधों में वृद्धि, दुर्बल तथा भ्रष्ट न्याय एवं कर प्रणाली, साथ ही राजनैतिक तंत्र की दुर्बलता, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राजनीति में विद्यमान अस्थायित्व, अनुभवनहीन तथा भ्रष्ट नेतृत्व, विकास कार्यों के प्रति राजनैतिक अनिच्छा क्षेत्र विशेष की उपेक्षा राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु आतंकवाद का प्रचार- प्रसार, राजनीति का अपराधीकरण सामाजिक मूल्यों से रहित शिक्षा प्रणाली, धार्मिक कट्टरता से सम्बद्ध सामाजिक मान्यताएँ, शासक तथा शासन व्यवस्था द्वारा बुनियादी सामाजिक जरूरतों की पूर्ति न होना, बुद्धिजीवि वर्ग में निराशा, वर्णव्यवस्था तथा छुआछूत की भावना इत्यादि कारक मानव के हिंसात्मक व्यवहार में वृद्धि के साथ-साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद का बीजारोपण तथा उसकी वृद्धि भी करते हैं ।

आज की आतंकवादी हिंसा को नूतन स्वरूप प्रदान करने में धार्मिक कट्टरता की मुख्य भूमिका है। सम्पूर्ण विश्व में जिहाद कई रूपों में प्रकट हो रहा है, कहीं धार्मिक उन्माद है तो कहीं कई बार धर्म के नाम पर नए राष्ट्र के निर्माण हेतु भी आतंकवाद फैलाया जाता है। मुस्लिम आतंकवाद से भारत समेत कई गैर मुस्लिम राष्ट्र ही नहीं, वरन् कुछ मुस्लिम राष्ट्र भी एक अर्से से पीड़ित हैं । मुस्लिम आतंकवाद विश्व के कई भागों में फैला हुआ है जिसका प्रभावी संचालन तालिबान या अफगानिस्तान द्वारा किया जाता है । ये संगठन इस्लाम के नाम पर परस्पर प्रतिबद्ध होना चाहते हैं। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य इस्लाम नाम पर विश्व के समस्त राष्ट्रों से धन एवं भावनात्मक सहानुभूति हासिल करने की होती है। इन आतंकवादी संगठनों द्वारा धर्म का प्रयोग अपने लाभ तथा हितार्थ हेतु किया जाता रहा है ।

विश्व परिदृश्य पर मिस्र, इस्लामी आतंकवाद का पैदावार राष्ट्र है । 1928 में मिस्र में कुख्यात संगठन 'मुस्लिम ब्रदर हुड' की स्थापना हुई तथा यहीं से वह सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ । वर्तमान में मुख्यतः अल्जीरिया, अफगानिस्तान, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, मध्य एशिया के नवस्वतंत्र गणराज्य, पाकिस्तान, ईरान, भारत, ईराक, मिस्र, सीरिया, लीबिया, लेबनान, जॉर्डन तथा मगरिब के राष्ट्रों में इस्लामी आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। एलेक्सजेण्डर तथा फिंगर (1977) के मतानुसार "आतंकवाद के प्रमुख कारण आधुनिक सभ्यता की प्रकृति में तथा आधुनिक औद्योगिक पद्धति में विद्यमान है । "

अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पर इराक, फिलीस्तीन, लीबिया, अफगानिस्तान, ईरान जैसे राष्ट्रों को पिछले दशक से अधिक समय से हैरान-परेशान कर रखा है, उसी का यह अंजाम था कि अमेरिका जिसे बिल्ली समझ रहा था वह दुस्साहसी होकर शेर की तरह दहाड़ते हुए उसी पर टूट पड़े है । एक तरह से यह क्रिया की प्रतिक्रिया है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक नियम पर आधारित है | इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका ने लंबे सयम तक लीबिया, सूडान, ईरान, ईराक, अफगानिस्तान व फिलीस्तीन जैसे देशों में आतंकवादी संगठनों को शरण एवं संरक्षण दिया है। अमेरिकी संस्था

सी.आई.ए. के माध्यम से वहाँ की विभिन्न सरकारों ने संसार के 50 से अधिक क्रूर, सत्तापलटू सैनिक अधिकारियों, तानाशाहों एवं अलोकतांत्रिक शासकों को समर्थन एवं संरक्षण दिया है। कितनी ही सरकारों को सी.आई.ए. की हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से पलटा गया है। वर्तमान में ईराक और अफगानिस्तान में शिया और सुन्नी समुदायों के मध्य उत्पन्न जातीय संघर्ष, धर्म आधारित आतंकवाद की उपज है। जो कही न कहीं अमेरिका की ही देन है। अब देखना यह है कि यह जातीय संघर्ष आतंकवाद का कौन सा रूप लेता है ।

अमेरिका पर आतंकवादी हमला तथा आतंकवाद विरोधी अभियान हेतु भारत- अमेरिका सहयोग

11 सितम्बर, 2001 को संसार के समक्ष आतंकवाद का एक नूतन रूप उभरा। इस दिन इस्लामिक आतंकवादियों ने अमेरिकी हृदयस्थल पर करारा प्रहार करने के लिए चार यात्री विमानों का अपहरण कर उनका मिसाइलों की तरह प्रयोग करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रतीक न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा अमेरिकी सैन्य क्षमता के प्रतीक पेंटागन को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । इस आतंकवादी हमले का जिम्मेदार सऊदी अरब के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को माना गया । यह आतंकवादी हमला एटमी हमले की भाँति था । इस आतंकवादी हमले की तीखी प्रतिक्रिया हुई तथा जो अमेरिका कभी आतंकवाद को गम्भीरता से नहीं लेता था, उसने तीखे स्वर में आतंकवाद की निंदा की तथा विश्व मंच पर आतंकवाद को समूल नष्ट करने की घोषणा की ।

इस घटना के उपरान्त भारत में भी एक बड़े आतंकवादी हमले के रूप में 1 अक्टूबर, 2001 को जम्मू-कश्मीर पर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने आक्रमण किया। इस आतंकवादी हमले ने भारत सहित विश्व के सभी राष्ट्रों की चिन्ता को और बढ़ा दिया । प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इस घटना के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश को भेजे गये एक विशेष पत्र में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि, पाकिस्तान को यह सही ढंग से समझ लेना चाहिये कि भारतीय जनता के सब्र की भी एक सीमा है तथा भारत द्वारा आतंकवाद का सामना करके उसे समूल नष्ट कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद 13 दिसम्बर, 2001 को आतंकवादियों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को चुनौती प्रदान की गई। आतंकवादियों ने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक तथा सुरक्षा की दृष्टि से देश के अभेद दुर्ग संसद भवन पर आत्मघाती हमला किया। देश को झकझोरने वाली इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया था, जब संसद के दोनों सदानों की कार्यवाही पूरे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी तथा सांसद बाहर निकलने लगे थे। अनेक बार संसद को उड़ाने की धमकी दे चुके आतंकवादियों ने 13 दिसम्बर 2001 को प्रातः 11 बजकर 40 मिनिट पर संसद भवन को नष्ट करने के उद्देश्य से विजय चौक से संसद भवन के परिसर में प्रवेश किया। आतंकवादी ए.के. 47 राइफल्स, चीन द्वारा निर्मित ग्रेनेड तथा आर. डी. एक्स से लैस थे, किन्तु आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। सुरक्षा बलों द्वारा जबावी कार्यवाही करते हुए पाँचों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के चार जवान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कान्स्टेबल, राज्यसभा का एक सुरक्षाकर्मी तथा एक बागवान समेत सात व्यक्ति मारे गये तथा 32 लोग घायल हो गये थे, यदि आतंकवादी सफल हो जाते तो कई लोगों की जाने जा सकती थी ।

अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरूद्ध कार्यवाही करते अभियान चलाया उस अभियान का पहला चरण था "ऑपरेशन नोबल ईगल ।" जैसे ही सैन्य टुकड़ियों की तैनाती होने लगी कार्यवाही का नाम “इनफाइनाइट जस्टिस” हो गया और कार्यवाही की वास्तविक शुरूआत के साथ इसे "ऑपरेशन एन्डयोरिंग फ्रीडम " कहा गया । "नोबल ईगल" उस दौर को इंगित करता है जब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के खिलाफ आतंकवादी आक्रमणों के स्त्रोतों के बारे में विशाल चहुँमुखी सर्वेक्षण किया गया और व्यवहार्थ उद्देश्यों और लक्ष्यों को पहचानने का कार्य किया गया। वही “इनफाइनाइट जस्टिर" का अर्थ था कि अमेरिका द्वारा संचालित आतंकवाद विरोधी अभियान सिर्फ एक ही प्रहार कर सफल नहीं होने वाला था, बल्कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटना, जिसने पश्चिम लोकतांत्रिक देशों को अपना लक्ष्य बना रखा है, का पूर्णतः खात्मा न कर दिया जाए। साथ ही यह भी कि जिस अभियान को आरम्भ किया गया है वह सिर्फ सजा देने के लिए या प्रतिशोधपूर्ण कार्यवाही नहीं है, अपितु न्याय के लिए उठाया जा रहा

साध्य कदम और भविष्य की आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम के लिए किया जा रहा कार्य है। "एन्डयोरिंग फ्रीडम " का अर्थ यह कि अभियान लंबा चलेगा और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लोकतंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी न किसी रूप में बना रहेगा । राष्ट्रपति बुश ने इस बात पर जोर दिया कि इस अभियान की कार्यवाहियों को तीन वर्गों में चलाया जाएगा आर्थिक, राजनैतिक-कूटनीतिक और सैन्य । उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान का दूसरा आयाम है इसका मानवतावादी दृष्टिकोण, जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहयोग और सुविधाएँ उपलब्ध कराता रहेगा । अभियान का राजनैतिक उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रीय सहमति पर आधारित है और यह अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन के माध्यम से काम करेगा।

हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को समर्थन देते हुए प्रस्तावों को पारित तो किया है पर सैन्य सहायता आवश्यक रूप से अमेरिका के नेतृत्व में हुए गठबंधन की ओर से ही मुहैया की गई जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कुछ सहयोग नाटो के सदस्य देशों की ओर से भी था। रूस जहाँ इस अभियान में भाग नहीं ले रहा था, वहीं चीन का मानना है, कि अभियान तभी जायज ठहराया जाएगा जब इसे संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में सुरक्षा परिषद के ढ़ाँचे के तहत आरम्भ किया जाए। भारत इस अभियान के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त करता है किन्तु अमेरिका और अन्य देशों ने अभी तक भारत से कोई विशेष सहयोग और व्यवहार्य सुविधाएँ नहीं माँगी है।

सैद्धान्तिक रूप से 48 देशों ने आतंकवाद विरोधी सैन्य कार्यवाही के प्रति अपने समर्थन की घोषणा की है। सांख्यिकीय संदर्भ में यह संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों में से एक तिहाई से भी कम ने इस गठबंधन के प्रति अपने समर्थन की घोषणा की किन्तु विश्व की सारी अहम् शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्मित इस गठबंधन का समर्थन किया है।

भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मद्देनजर अपनी नीतियों की रूपरेखा तैयार करते समय कुछ बिन्दुओं पर विचार करना जरूरी है जैसे- अमेरिका के नेतृत्व में हुआ गठबंधन दरअसल एक सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन नहीं है, बल्कि विश्व के शक्तिशाली देशों का एक ऐसा गठबंधन है, जिनकी सोच समान है। सारे मुस्लिम देशों के लोग अफगानिस्तान के खिलाफ किए जा रहे सैन्य अभियान को लेकर परेशान और अप्रसन्न है। मलेशिया, चीन और इंडोनेशिया जैसी महत्वपूर्ण एशियाई शक्तियों को अमेरिका के राजनैतिक सैन्य प्रयासों को लेकर आपत्तियाँ तो है पर उन्होंने मौन धारण कर रखा है। साथ ही अमेरिका और उसके नाटो मित्र राष्ट्रों द्वारा भारत को कोई भी स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है कि भारत के खिलाफ हो रही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी विध्वंसात्मक गतिविधियों के जबाव में भारत द्वारा कड़े उपाय किए जाने का वे समर्थन करेगें अतः हमारी नीतियां उभरती हुई परिस्थितियों की इन तर्क संगत वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में रची जानी चाहिए ।

अमेरिका पर हुए आक्रमणों के प्रति आम प्रतिक्रिया भर्त्सना से भरी थी और इसमें यह स्वीकार किय गया था कि सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ निर्णयात्मक कदम उठाए जाने चाहिए । इस बात पर आम सहमति थी कि भारत की ओर से ऐसा कदम एक भुक्तभोगी की हैसियत से हमारे अपने अनुभव पर आधारित होना चाहिए इसके लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी, विदेशी मंत्री जसवंत सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ब्रजेश मिश्रा और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमरीका में उनके समकक्षों के बीच उच्च स्तरीय राजनैतिक मशवरे हुए किन्तु इन सारे देशों से कोई भी ऐसा स्थायी संकेत नहीं मिला कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा की जा रही उत्पातपूर्ण गतिविधियों के संबंध में भारत की दुश्चिताओं का वे ध्यान रखेगे। उल्टे भारत को यह सलाह दी गई कि कैसी भी भड़काऊ स्थिति क्यों न हो, भारत को पाकिस्तान प्रायोजित क्रियाकलापों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाना है ताकि अफगानिस्तान के विरूद्ध आतंकवाद विरोधी अमेरिकी अभियान को सहयोग करने के विषय पर पाकिस्तान अपना मन नहीं बदले। भारत को यह भी कहा गया है कि एक बार तालिबान और लादेन से निबटने का सर्वोपरि ध्येय पूरा हो जाए उसके बाद दीर्घकालिक रूप से आतंकवाद की अन्य घटनाओं पर उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा। इन सबसे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर यह भी संभव है कि पाकिस्तान अमरीका को दिए जा रहे अपने सहयोग के बदले में जम्मू-कश्मीर पर अपनी माँग को लेकर समर्थन की उम्मीद करे, शायद तब अमरीका एवं अन्य प्रमुख शक्तियाँ भारत को यह कहें कि वह पाकिस्तान के

खिलाफ किसी भी प्रभावी कार्यवाही से परहेज करे तथा जहाँ तक संभव हो कश्मीर मसले पर पाकिस्तानी नजरिए के अनुसार समझौते की रूपरेखा तय करे ।

अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियान पर हमारा ध्यान इस कदर केन्द्रित है कि हम आतंकवादियों और आतंकवाद के विरूद्ध अपने तीन दशकों के संघर्ष के संदर्भ में इस अभियान के परिणामों के प्रति सजग नहीं दिखते है । हमारी सरकार ने अमेरिका पर हुए आतंकवादी आक्रमणों को लेकर अपनी आरम्भिक प्रतिक्रियाओं में अमरीकी आतंकवाद विरोधी अभियान के प्रति पूर्ण और बेवाक समर्थक दिखाया है। ऐसा लगता है मानो हमने अपनी नीति इस धारणा के आधार पर निर्धारित की है, कि अमरीका का अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अभियान, अपनी परिधि में खुद व खुद पाकिस्तान प्रायोजित अतिवादी इस्लामी भाड़े के आतंकवादियों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को भी शामिल कर लेगा, पर यह एक आशावादी और अवास्तविक अनुमान ही है ।

आतंकवाद की समाप्ति हेतु एक विशिष्ट रणनीति के सृजन की आवश्यकता है। संतुलित आधार

आधार पर आतंकवादियों का सामना करने वाली रणनीति को दो भागों में विभक्त कर सकते है ।

1. सैनिक रणनीति जो आतंकवाद के लक्षणों एवं कारणों के समाधान पर निर्भर करती है आतंकवादियों को समर्थन इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों द्वारा आतंकवादियों के उद्देश्यों को कितनी वैधता प्रदान की जाती है एवं लोगों की यह परिकल्पना होती है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति सिर्फ उनके ही कर सकते है ।

2. आतंकवाद के लक्षणों पर प्रहार न कर इसके कारणों पर प्रहार किया जाना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों को समझकर हम प्रवर्तन कानून कार्यवाहियों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं एवं सुरक्षात्मक उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके साथ-साथ अंतर्निहित कारणों को समझकर व्यापक राजनीतिक रणनीतियों का विकास, समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते है ।

भारत तथा अमेरिका ने आतंकवाद की समाप्ति हेतु द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर एक विस्तार एजेंडे की पहल की थी, जिसके अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई पर सहयोग हेतु संयुक्त शस्त्र उत्पादन से लेकर प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा सरीखे विषय सम्मिलित हैं । अमेरिकी दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड के साथ वाशिंगटन में आगामी 10 वर्षों के लिए भारत अमेरिका रक्षा संबंध पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर यह नया फ्रेमवर्क कई अर्थों में दो दशक पहले शुरू किए गए प्रयास का धीमा परिणाम है। यह समझौता न सिर्फ अमेरिका द्वारा भारत को शस्त्रों की बिक्री पर ही बल देता है बल्कि यह द्विपक्षीय रक्षा व्यापार के विस्तार में भी मददगार साबित होगा। भारतीय रक्षा निर्यात मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग एवं सह-उत्पादन के रूप में होगा। भारत एवं अमेरिका संयुक्त रूप से रक्षा मसौदों को अंतिम रूप में ही नहीं अपितु साधन के रूप में भी प्रयोग करेंगे। यह समझौता सामरिक सहयोग को सशक्त करने, दोनों पक्षों के सैन्य बलों के मध्य बेहतर पारस्परिक क्रिया की स्थिति को प्राप्त करने तथा दोनों पक्षों के सैन्य संस्थानों के मध्य बेहतर समझ स्थापित करने वाला होगा ।

उक्त समझौते के महत्वपूर्ण तर्क निम्न प्रकार से हैं

1. रक्षा सहयोग, व्यापार तथा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को निर्देशित करने हेतु खरीद एवं उत्पादन समूह होगा ।
2. द्विपक्षीय रक्षा व्यापार का विस्तार ।
3. व्यापर विध्वंस वाले शस्त्रों के प्रकार को रोकने हेतु क्षमता में वृद्धि |
4. अन्य राष्ट्रों के सहयोग से बहुपक्षीय रक्षा सहयोग |
5. आपदा प्रबंधन तथा सहायता के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास ।
6. बहुराष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई पर सहभागिता ।

भारत में अमरीका के राजदूत श्री टिमोथी जे. रोमर ने अमरीका के प्रतिनिधि के रूप में एवं भारत सरकार के गृह सचिव, श्री जी. के. पिल्लई ने भारतीय विदेश सचिव, निरुपमा राव की उपस्थिति में भारत सरकार की ओर से एक दूसरे को आतंकवाद के मुद्दों पर आश्वस्त करते आतंकवाद विरोधी अतिआवश्यक साझेदारी ('काउंटर टेरेरिज्म इनीसिएटिव' CCI)

पर हस्ताक्षर किये। साथ ही आने वाले समय में दोनों राष्ट्रों ने एक-दूसरे को आतंकवाद संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए बम धमाकों एवं सुरक्षा के मद्देनजर महानगरों में संयुक्त पुलिस अभियान, सायवर आतंकवाद एवं सीमाओं की सुरक्षा पर सहयोग का आश्वासन दिया तथा यह साझेदारी भविष्य में भी निरंतर बने रहने हेतु एक दूसरे को आश्वस्त किया ।

श्री रोमर ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तथा अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के संयुक्त उद्बोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों राष्ट्र आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए एक दूसरे को इस मुद्दे पर एकजुट होकर सतत् सहयोग देने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य करने की पैरवी करते हैं। भारत एवं अमरीका ने विभिन्न मुद्दों जैसे साझा सैन्य अभ्यास, सीमा सुरक्षा आदि पर सहयोग हेतु एक MoU पर भी हस्ताक्षर किये। इसी के परिणामस्वरूप दोनों राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ ।

मई 2011 एवं मई 2013 में अमरीकी गृह सचिव जेनिथ नेपोलितानो ने भारत अमरीका संबंधों को भविष्य में बनाये रखने एवं मूल मुद्दों के साथ कुछ सहायक मुद्दे जैसे- हवाला धन, बंदरगाह, समुद्री व्यापार एवं सुरक्षा इत्यादि पर आपसी सहयोग प्रदान करते हुए आतंकवाद को भी समूल नष्ट करने हेतु साथ-साथ कदम मिलाकर चलने पर जोर दिया ।

भारत के लोगों और यहाँ की सरकार को स्पष्ट तौर पर इस बात को मान लेना चाहिए कि इन सब प्रयासों के बावजूद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए किसी भी आतंकवादी विरोधी अभियान को अमेरिका द्वारा राजनैतिक तौर पर व्यवहार्य रूप से कोई भी समर्थन दिए जाने की संभावना न के बराबर है । यह एक ऐसा अभियान है जो हमें खुद ब खुद शुरू करना होगा जब भी जरूरत हो, जहाँ भी जरूरत हो। अब तक हम अपनी भू-भागीय सीमा के अंदर ही आतंकवाद के साथ मुकाबला कर रहे थे । सवाल यह है कि क्या हम इस लड़ाई को नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जड़ों को नष्ट करने के लिए जा सकते है ? इस संदर्भ में निर्णय लेने के समय हमें चार बातों का ध्यान रखना होगा (1) हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि भारत द्वारा अपने भू-भाग में पाकिस्तान के लिए दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के खिलाफ पाकिस्तान नाभकीय अस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों के जरिए प्रतिकार करने के लिए उयत हो उठेगा। (2) भारत द्वारा कोई भी प्रभावी कदम प्रत्यक्ष रूप से उसके खिलाफ हुए किसी गंभीर आतंकवादी घटना के जबाव में ही उठाया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष हमारी कार्यवाही औचित्यपूर्ण साबित हो। (3) हमें सावधानीपूर्वक इस बात की जाँच अवश्य करनी चाहिए कि क्या हमारे पास इतनी संचालन क्षमता है कि हम कम से कम सही अनुपात में प्रतिकार कर सके। (4) क्या ऐसी दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण कि हमारे द्वारा ऐसे प्रयास किये जाने से उत्पन्न सैन्य परिणामों का सामना करने के लिए हमारे अंदर राजनैतिक इच्छा शक्ति मौजूद है? स्पष्ट है कि इन विषयों पर हम जो भी निर्णय ले उसके लिए गहरे चिंतन की और सावधानी के साथ की गई राजनैतिक और रणनैतिक प्रयासों की जरूरत होगी ।

यह तो प्राकृतिक नियम है कि प्रतिहिंसा, हिंसा को समाप्त नहीं कर सकती है, जबकि आज आतंकवाद, जो कि अधिकांश रूप में हिंसात्मक रूप में हमारे सामने है, को समाप्त करने के लिए केवल हिंसा और हिंसा की बातें की जा रही है। लेकिन इन सब प्रयत्नों से आतंकवाद समाप्त होने वाला नहीं है इसके लिए तो इसको उत्पन्न करने वाले कारणों की शुद्ध रूप में पहचान करने और उसकी जड़ों पर हमला करने की आवश्यकता है। आधुनिक आतंकवाद को जन्म देने वाले अनेक कारण रहे है। आतंकवाद के मूल में अन्तर्राष्ट्रीय विरादारी में आर्थिक विकास की अत्याधिक असमानताए, विकसित राष्ट्रों द्वारा अर्द्धविकसित राष्ट्रों का शोषण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संवेदनहीन व्यवहार, इन राष्ट्रों पर पूर्व में किये गये निर्मम अत्याचार, नक्सलवाद की अवधारणा और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा केवल अपने को महान मानने की मानसिकता जैसे कारण उत्तरदायी हैं। भविष्य में यदि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है तो नस्लवाद, क्षेत्र विकास, पिछड़ापन, निरक्षरता, गरीबी, अज्ञानता, विखण्डन, अपरिपक्वता जैसे तत्वों से ग्रसित व्यक्तियों के बारे में और ऐसे राष्ट्रो के बारे में चिन्तन करना और कुछ सकारात्मक कार्य करना समय की मांग है। इसके लिए अमेरिका जैसे सम्पन्न, सक्षम और सबल राष्ट्र को आगे आने का प्रयास करना चाहिए, तब ही आतंकवाद के ऐसे कारणों पर प्रहार और आतंकवादियों का प्रभाव कम किया जा सकता है ।

आतंकवाद की यह समस्या अब इस सीमा तक विश्वव्यापी हो गई है, कि कोई भी देश अकेले अपने बलबूते पर इससे छुटकारा नहीं पा सकता । विडम्बना यह है कि लोकतंत्र के इस युग में लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने वाले कई देश या तो आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं बढ़ावा दे रहे है अथवा चोरी छिपे उन शक्तियों को बढ़ा रहे है, जो आतंकवाद की प्रतीक है। आधुनिक विश्व को सबसे पहले ऐसे देशों की ओर संकेत करना होगा, जो आतंकवादी संगठनों का पोषण करके अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे है । निष्पक्ष भाव से संगठित होकर ऐसे सभी देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक बहिष्कार करना होगा, ताकि उनके द्वारा पोषित आतंकवाद से निबटा जा सके, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादी संगठनों को किसी भी वैध-अवैध तरीके से घातक हथियार उपलब्ध न हो सके । हथियारों की उपलब्धता रूकेगी तो आतंकवाद की धारा टूटेगी। किंतु यह हो कैसे? हिंसा भड़काने वाले विभिन्न देश अपने-अपने स्वार्थों से जुड़े है और उन पर रोक लगाने वाली शक्तियाँ अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति के कारण मौन है।

आतंकवाद राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी एक देश अथवा व्यक्ति द्वारा उसे समाप्त नहीं किया जा सकता । जहाँ तक कुछ सरकारों के आतंक का प्रश्न है इसके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन को कठोर बनाना होगा। इसी के साथ दबाव में चुप रहने अथवा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अत्याचार करने वाले पक्ष का समर्थन करने की नीति त्यागनी होगी। आज आवश्यकता है कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वस्तुनिष्ठ चिंतन किया जाए, दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय योजना बनाई जाए और उसे समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाए । साथ ही यह भी आवश्यक है कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र आतंकवाद पर अपनी दोहरी नीति का त्याग करें ।

संदर्भ सूची

1. मानचंद खडेला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, 2002,
2. राम आहूजा : सामाजिक समस्याए, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000,
3. राम आहूजा : सामाजिक समस्याए रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000,
4. लारेंस जेतिक, फ्रीडमेन, टेरेरिज्म, हिन्दुस्तान पब्लिकेशन कॉपोरेशन, दिल्ली, 1985,
5. घई यू. आर. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति; सिद्धांत एवं व्यवहार 2009 न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी लंधर ।
6. डी.सी. नाथ, ग्लोबलाइजेशन और टेरेरिज्म, टेरेरिज्म द ग्लोबल पर्सपेक्टिव द्वारा आर. एस. नारगई, कनिष्क प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001,
7. डी.सी. नाथ, ग्लोबलाइजेशन और टेरेरिज्म, टेरेरिज्म द ग्लोबल पर्सपेक्टिव द्वारा आर. एस. नारगई, कनिष्क प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001
8. वाल्टर लॉकर : द ऐण्ड ऑफ टेरेरिज्म एम्सटरडम, नार्थ हालैण्ड पब्लिशिंग कम्पनी, 1986, |
9. डॉ. कृष्णकुमार रनू : जिहाद और आतंक, बुक एन्क्लेव, जयपुर 2002
10. राम आहूजा : सामाजिक समस्याए, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000
11. मानचंद खडेला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आतंकवाद, अविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, 2002,
12. हिन्दुस्तान, 2 अक्टूबर, 2001,
13. मनोहरलाल, वाथम एवं शिवचरण विश्वकर्मा, आतंकवाद चुनौती एवं संघर्ष, मेघा बुक्स, दिल्ली, 2003,
14. दैनिक भास्कर, 14 दिसम्बर, 2001, 15. मानचंद खडेला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, 2002,
15. जे. एन. दीक्षित, भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006,
16. जे. एन. दीक्षित, भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006,
17. जे. एन. दीक्षित, भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006,
18. सिविल सर्वेसेस टाइम्स, सितम्बर 2005, अंक 9, पृ.6 । 20. उभाव एस. राम, आतंकवाद का फैलता जाल, सिविल सर्वेसेस टाइम्स, सितम्बर 2005 अंक 9,
19. निश्तर खानकाही, आतंकवादः जिम्मेदार कौन, मनोज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2009,